

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-64/2017/सत्रह/एक (8) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एम.पी.डब्ल्यू.)को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता हैं:-


| क्र. | कर्मचारी का नाम | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना | आधार |
|------|--------------------------|--|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | अन्जु निशा वर्मा | उप.स्वा.के. डोडरा | पी.एच.सी. गाड़ाडीह, जिला दुर्ग | आपसी |
| 2 | सरिता साहू | पी.एच.सी. गाड़ाडीह, जिला दुर्ग | उप.स्वा.के. डोडरा | आपसी |
| 3 | मीता नायक | उपस्वास्थ्य केन्द्र कोकड़ी, मस्तुरी जिला बिलासपुर | उप स्वा. केन्द्र घरघोड़ी जिला रायगढ़ | प्रशासकीय |
| 4 | श्रीमती किसन्तीन शोरी | उपस्वास्थ्य केन्द्र ओरछा, जिला नारायणपुर | उपस्वास्थ्य केन्द्र बेने जिला नारायणपुर | स्वयं के व्यय पर |
| 5 | स्वेता चौहान | उपस्वास्थ्य केन्द्र पीपरहट्टा, | सामु.स्वा.के. गुजरा अभनपुर, जिला रायपुर | स्वयं के व्यय पर |
| 6 | सेतबाई साहू | उपस्वास्थ्य केन्द्र पंचभैया, विख व जिला बेमेतरा | उपस्वास्थ्य केन्द्र कुम्हारी, विख कसडोल, जिला बलौदाबाजार | स्वयं के व्यय पर |
| 7 | सविता मांझी | नन्हेसर बगीचा जशपुर | पी.एच.सी. घुटरापारा, विख बतौली, सरगुजा | स्वयं के व्यय पर |
| 8 | श्रीमती चन्द्रकला सिन्हा | उप स्वास्थ्य केन्द्र पहाडगांव विख पाली, जिला कोरबा | सामु. स्वास्थ्य केन्द्र नरहरपुर जिला कांकेर | स्वयं के व्यय पर |
| 9 | नंदिनी कंवर | उप स्वा. केन्द्र देवरीखुर्द (पेन्द्रा) जिला बिलासपुर | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा के अधीन। | स्वयं के व्यय पर |

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

U. Jha

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.एल. ताम्रकार)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग


पृ0क्रमांक एफ 1-64/2017/सत्रह/एक (8) नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टॉक फाईल।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
2

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-64/2017/सत्रह/एक (7) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एम.पी.डब्ल्यू.)को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-


| क्र. | कर्मचारी का नाम | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना | आधार |
|------|-----------------------|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | पुष्पलता कॅवट | उप स्वा. केन्द्र पाराडोट | सामु.स्वा.केन्द्र लवन, जिला बलौदाबाजार | स्वयं के व्यय पर |
| 2 | श्रीमती टी परवीन | उप स्वा.केन्द्र, पेदाकोडो, जिला राजनांदगांव | सामु. स्वा. केन्द्र डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव | स्वयं के व्यय पर |
| 3 | कु. कान्ता बरवा | उप स्वा. केन्द्र कॅवची जिला बिलासपुर | सामु. स्वा. केन्द्र बगीचा जिला जशपुर | स्वयं के व्यय पर |
| 4 | सुश्री दीपाली गावन्डे | प्राथ. स्वा. केन्द्र दामाखेड़ा जिला बलौदाबाजार | उप स्वा. केन्द्र अकोली वि.ख. धरसीवा जिला रायपुर | स्वयं के व्यय पर |
| 5 | कुमारी सरीता रामटेके | उप स्वा. केन्द्र झिरीयापुर जिला | सामु. स्वा.केन्द्र बोरी, जिला दुर्ग | स्वयं के व्यय पर |
| 6 | भावना केवर्त | उप स्वा. केन्द्र सिरलीजिला कोरबा | प्राथ. स्वा. केन्द्र चैतमा जिला कोरबा | स्वयं के व्यय पर |
| 7 | सुश्री अनिता नथवानी | उप स्वा केन्द्र कमरौद जिला महासमुंद | सामु. स्वा. केन्द्र नवापारा जिला रायपुर | स्वयं के व्यय पर |
| 8 | श्रीमति कांति दिनकर | उप. स्वा. केन्द्र काड़ाभाट सी.एच. सी. पामगढ़ जिला | उप स्वास्थ्य केन्द्र फुन्डा झिंट जिला दुर्ग | स्वयं के व्यय पर |
| 9 | श्रीमती भारती मरकाम | उप.स्वा.के. हर्दा, विख गुरुर जिला बालोद | उप.स्वा.के. खैरा विख डोंगरगढ़, राजनांदगांव | स्वयं के व्यय पर |
| 10 | लक्ष्मी जोल्हे | प्राथ.स्वा.केन्द्र रायपुरा | उप स्वास्थ्य केन्द्र ठनगन, जिला जांजगीर चांपा | स्वयं के व्यय पर |

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

W. Jada

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.एल. ताम्रकार)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग


पृ0क्रमांक एफ 1-64/2017/सत्रह/एक (7) नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टॉक फाईल।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
2

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-64/2017/सत्रह/एक (6) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एम.पी.डब्ल्यू.) को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-


| क्र. | कर्मचारी का नाम | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना | आधार |
|------|------------------------------|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | दीप्ति साहू | उप.स्वा.केन्द्र, रुखमीदादर, जिला कबीरधाम | उप स्वा.केन्द्र खुदनी जिला बालोद | स्वयं के व्यय पर |
| 2 | प्रीति कुमारी | उप.स्वा. केन्द्र मउनपुर जिला कोरबा | उप स्वा.केन्द्र गोढ़ी जिला कोरबा | स्वयं के व्यय पर |
| 3 | नीराटंडन | उपस्वा केन्द्र टेडहाघौरा जिला मंगेली | उप स्वा केन्द्र टनगन जिला जांजगीर | स्वयं के व्यय पर |
| 4 | श्री एस.व्ही. सोना | उप स्वा. केन्द्र सिवनी, बलौदा, जिला जांजगीर | उप स्वा. केन्द्र खिसोरा, जिला जांजगीर | स्वयं के व्यय पर |
| 5 | श्रीमती सावित्री कुजूर | उप स्वा. केन्द्र भगवानपुर, जिला बलरामपुर। | प्राथ.स्वा. केन्द्र चान्दो, जिला बलरामपुर | स्वयं के व्यय पर |
| 6 | श्रीमती उमा बड़ा | उप स्वा. केन्द्र भाला, वि.ख. रामचन्द्रपुर, जिला बलरामपुर। | सामु.स्वा. केन्द्र राजपुर, जिला बलरामपुर | स्वयं के व्यय पर |
| 7 | पार्वती वेनवंश | उप स्वा. केन्द्र कमरजी, जिला कोरिया | सामु.स्वा. केन्द्र गधौरा, रामगढ़, भरतपुर, जिला कोरिया | स्वयं के व्यय पर |
| 8 | कु. कुसुम साहू | उप स्वा. केन्द्र गोदावरी | सामु. स्वा. केन्द्र मंदिर हसौद जिला रायपुर | स्वयं के व्यय पर |
| 9 | श्रीमती प्रीति भगत केरकेट्टा | उप स्वा. केन्द्र बडेनवापारा, रायगढ़ | उप स्वा.केन्द्र जशपुर जिला रायगढ़ | स्वयं के व्यय पर |
| 10 | सरोज भास्कर | उप स्वा. केन्द्र टोडहा | उप स्वा. केन्द्र सगली, जिला राजनांदगांव | स्वयं के व्यय पर |

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

Ujala

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदनुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.एल. ताम्रकार)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग


पृ0क्रमांक एफ 1-64/2017/सत्रह/एक (6) नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित

..... की ओर सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
///आदेश///

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-64/2017/सत्रह/एक (5) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एम.पी.डब्ल्यू) को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-

| क्र. | कर्मचारी का नाम | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना | आधार |
|------|----------------------|--|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | लोक कुमारी पोर्ते | उप स्वा. केन्द्र मुरमुर जिला बिलासपुर | प्राथ. स्वा. केन्द्र रुसे सी.एच.सी पंडरीया जिला मुर्गेली | स्वयं के व्यय पर |
| 2 | कु. कुन्ती साहू | उप स्वा. केन्द्र सोना कुकानार, जिला सुकमा | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर जिला | स्वयं के व्यय पर |
| 3 | रमशिला मरकाम | उप स्वा. केन्द्र अरण्डी, जिला कोण्डागांव। | उप स्वा. केन्द्र परपा, जिला बस्तर | स्वयं के व्यय पर |
| 4 | कुमारी उत्तरी टण्डन | उप स्वा. केन्द्र मधईभाटा जिला बलोदाबजार | उप स्वा. केन्द्र धनसीर जिला बलौदाबाजार | स्वयं के व्यय पर |
| 5 | अंजली चौधरी | उप स्वा. कोंगियाकला केन्द्र . बेमेतरा जिला | सामु.स्वा. केन्द्र पिथौरा, जिला महासमुंद | स्वयं के व्यय पर |
| 6 | श्रीमती रमा पटेल | उप. स्वा. जिला बुदेली केन्द्र . रायगढ़ | सामु.स्वा. केन्द्र बरमकेला, जिला रायगढ़ | स्वयं के व्यय पर |
| 7 | उमा प्रधान | उपकेन्द्र.स्वा. छोटे देवगांव जिला रायगढ़ | सामु.स्वा. केन्द्र पाली जिला कोरबा | स्वयं के व्यय पर |
| 8 | कु० ममता पटेल | उप स्वास्थ्य केन्द्र टीमानार जिला कांकेर | उप स्वा. केन्द्र नवाटोला जिला सूरजपुर | स्वयं के व्यय पर |
| 9 | प्रियंका लकड़ा | प्राथकेन्द्र.स्वा. कया जिला रायगढ़ | उप स्वा. केन्द्र बसंतटोला जिला जशपुर | स्वयं के व्यय पर |
| 10 | श्रीमती ह्याया सिंदे | एसएचसी नोनबाका जिला कोरबा | उप स्वा. केन्द्र उसरीबोड जिला राजनांदगाँव | स्वयं के व्यय पर |

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

WJ

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

U. Jaiswal
(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-64/2017/सत्रह/एक (5)

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित

की ओर सूचनार्थ

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।

U. Jaiswal

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

U. Jaiswal

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-64/2017/सत्रह/एक (4) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एम.पी.डब्ल्यू) को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-

| क्र. | कर्मचारी का नाम | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना | आधार |
|------|-----------------------|--|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सरिता मरकाम | एससमतापुर.सी.एच. जिला कोंडागांव | उप स्वा. केन्द्र बहनापानी, जिला कांकेर | स्वयं के व्यय पर |
| 2 | श्रीमति सोनिका दास | उपस्वा.के. केना जिला महासमुंद | उप स्वा केन्द्र कोमाखान जिला महासमुंद | स्वयं के व्यय पर |
| 3 | योगिता गायकवाड | पी.सी.एच. सलना जिला कोंडागांव | उप स्वा. केन्द्र बोगर जिला कांकेर | स्वयं के व्यय पर |
| 4 | श्रीमती कस्तुरी साव | उप स्वा. केन्द्र छिंद, वि.ख. सारंगढ़, जिला रायगढ़ | उप.स्वा केन्द्र सारसकेला जिला जॉजगीर | प्रशासकीय |
| 5 | श्रीमती प्रिया शुक्ला | एसएचसी दवना जिला सूरजपुर | उप स्वा. केन्द्र माजा जिला सूरजपुर | स्वयं के व्यय पर |
| 6 | कु० जग बाई निर्मलकर | एसएचसी बिंजरा जिला कोरबा | उप स्वा. केन्द्र भवरेली जिला जांजगीर | स्वयं के व्यय पर |
| 7 | सविता तिग्गा | प्राथ स्वा केन्द्र नवागांव चीनू जिला मुंगेली | उप स्वा. केन्द्र चपाटोली जिला जशपुर | स्वयं के व्यय पर |
| 8 | श्रीमती लक्ष्मी यादव | उप स्वा केन्द्र सिंधारी बलोदाबाजार | उप स्वा. केन्द्र गिरोला जिला कोण्डागांव | स्वयं के व्यय पर |
| 9 | नागी सोडी | उप स्वा. केन्द्र कोपरा, वि.ख. बडेराजपुर, जिला कोण्डागांव | उप स्वा. केन्द्र मेटापाल, वि.ख. दंतेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा | आपसी |
| 10 | कुमारी चंपा मंडावी | उप स्वा. केन्द्र मेटापाल, जिला दंतेवाड़ा | उप स्वा. केन्द्र कोपरा, वि.ख. बडेराजपुर, जिला कोण्डागांव | आपसी |

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

Ugale

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

U. Jaiswal

(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2017

पृ0क्रमांक एफ 1-64/2017/सत्रह/एक (4)

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित

..... की ओर सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।

U. Jaiswal

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

U. Jaiswal

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-64/2017/सत्रह/एक (3) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एम.पी.डब्ल्यू.) को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-


| क्र. | कर्मचारी का नाम | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना | आधार |
|------|--------------------------------------|--|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | संध्या सोनी | उप स्वा. केन्द्र सरसीताल जिला मुंगेली | सामु. स्वा. केन्द्र लोरमी जिला मुंगेली | स्वयं के व्यय पर |
| 2 | श्रीमती भगवती देवी जांगड़े | उप स्वा. केन्द्र करौवाडीह, वि.ख. जैजैपुर, जिला | उप स्वा.केन्द्र ओडेकेरा जिला जांजगीर | स्वयं के व्यय पर |
| 3 | लक्ष्मी रात्रे | प्राथ- स्वा जिला टेमरी केन्द्र - बेमेतरा | उप स्वा केन्द्र अछोली जिला महासमुंद | स्वयं के व्यय पर |
| 4 | विजय लक्ष्मी साहू | उप स्वा केन्द्र मझवानी जिला बिलासपुर | उप स्वा. केन्द्र खुदनी जिला बालोद | स्वयं के व्यय पर |
| 5 | त्रिजेट केरकेटटा | उप स्वास्थ्य केन्द्र नेरूआ जिला कोरिया | उप स्वा. केन्द्र भंवरही जिला सूरजपुर | स्वयं के व्यय पर |
| 6 | प्रिति साहू | एसएचसी जेलगांवजिला कोरबा | उप स्वा. केन्द्र भंवरली जिला जांजगीर | स्वयं के व्यय पर |
| 7 | श्रीमती रेखा यादव (महिला पर्यवेक्षक) | सामु.स्वा. केन्द्र सक्ती, जिला जांजगीर | सामु.स्वा. केन्द्र मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा के अधीन | प्रशासकीय |
| 8 | श्रीमती किरण सोनी | उप स्वा जिला पदमी केन्द्र . बेमेतरा | प्राथ. स्वा. केन्द्र छिरहा (खडंसरा) जिला बेमेतरा | स्वयं के व्यय पर |
| 9 | श्रीमती रश्मिता मिश्रा | उप स्वा. केन्द्र देवरबीजा, वि.ख. बेरला, जिला बेमेतरा | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गरियाबंद के अधिन | प्रशासकीय |
| 10 | नूतन भंडारी | सामु.स्वा.केन्द्र, दुर्गाकोदल, जिला कांकेर | प्राथ. स्वा. केन्द्र भंवरमरा, जिला बालोद | स्वयं के व्यय पर |

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

Ujankar

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैंडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-64/2017/सत्रह/एक (3)

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित

..... की ओर सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-64/2017/सत्रह/एक (2) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एम.पी.डब्ल्यू) को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-


| क्र. | कर्मचारी का नाम | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना | आधार |
|------|------------------------------|--|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | कु. दीपिका पैकरा | प्राथ.स्वा. केन्द्र बड़कागांव, जिला बलरामपुर। | उप स्वा. केन्द्र डकवा, जिला बलरामपुर | स्वयं के व्यय पर |
| 2 | कु० शकुन्तला कोरोटी | एसटाहकावाडा.सी.एच. जिला बस्तर | उप स्वा. केन्द्र चिड़पाल जिला बस्तर | स्वयं के व्यय पर |
| 3 | कु० तेता गेंद | एसहांडावाडा.सी.एच. जिला नारायणपुर | उप स्वा. केन्द्र भानपुरी जिला बस्तर | स्वयं के व्यय पर |
| 4 | श्रीमती कुन्ती सोनी | एसएचसी सरना जिला बलरामपुर | उप स्वा. केन्द्र परसागुड़ी जिला बलरामपुर | स्वयं के व्यय पर |
| 5 | कु- त्रिवेणी मलेवार | उप स्वा केन्द्र नवागांव चीनू जिला मुंगेली | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर के अधिन | स्वयं के व्यय पर |
| 6 | श्रीमति अंबालिका सिंह राजपूत | प्राथ. स्वाजिला कतई केन्द्र . बेमेतरा | सामु. स्वा. केन्द्र नवागढ़ जिला बेमेतरा के अधीन | स्वयं के व्यय पर |
| 7 | श्रीमती चंद्रुपा साहू | उप स्वा. केन्द्र भुरसीडोंगरी, नगरी, जिला धमतरी | उप स्वा. केन्द्र भुसरेंगा जिला धमतरी | स्वयं के व्यय पर |
| 8 | तिकेश्वरी साहू | उप स्वास्थ्य केन्द्र, हिरीडीह जिला धमतरी | उप स्वास्थ्य केन्द्र कटोली जिला धमतरी | स्वयं के व्यय पर |
| 9 | कुमारी त्रिमला गोरला | उप;स्वा;केन्द्र केरपे जिला बीजापुर | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर के अधिन | स्वयं के व्यय पर |
| 10 | अम्बिका साहू | उप स्वाकेन्द्र ., सिंघोला जिला बालोद | उप स्वा. केन्द्र कोल्यारी जिला धमतरी | स्वयं के व्यय पर |

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपरिथत होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

UJalk

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैंडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-64/2017/सत्रह/एक (2)

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित

की ओर सूचनार्थ

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग



छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-64/2017/सत्रह/एक (1) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एम.पी.डब्ल्यू.) को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-

| क्र. | कर्मचारी का नाम | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना | आधार |
|------|-------------------------|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मौसमी रोज मिंज | उप स्वास्थ्य केन्द्र कोमो जिला जांजगीर | प्राथ. स्वा. केन्द्र काडरो, जिला जशपुर | स्वयं के व्यय पर |
| 2 | कु. करुणा साहू | उप स्वा. केन्द्र पिरदा, वि.ख. बिलाईगढ़, जिला बालोदा बाजार | उप स्वा. केन्द्र कुम्हारी, वि.ख. कसडोल, जिला बलौदाबाजार | स्वयं के व्यय पर |
| 3 | श्रीमती पितर बाई पटेल | सी.सी.एच. करतला जिला कोरबा | उप स्वा. केन्द्र बगोध, जिला जांजगीर | स्वयं के व्यय पर |
| 4 | श्रीमती प्रेमी सिन्हा | उप स्वास्थ्य केन्द्र, सांकरा जिला धमतरी | उप स्वास्थ्य केन्द्र कोलयारी जिला धमतरी | स्वयं के व्यय पर |
| 5 | कु० उषा वैष्णव | उप स्वा केन्द्र छैदा जिला बलोदाबाजार | उप स्वा. केन्द्र जोबा, जिला महासमुंद | स्वयं के व्यय पर |
| 6 | राजेश्वरी साहू | उप स्वा केन्द्र हरिनभट्टा जिला बलोदाबाजार | उप स्वा. केन्द्र भोरिंग, जिला महासमुंद | स्वयं के व्यय पर |
| 7 | रमशीला दुग्गा | प्राथ.स्वा. केन्द्र गढ़सिवनी, जिला महासमुंद | सामु.स्वा. केन्द्र अंतागढ़, जिला कांकेर | स्वयं के व्यय पर |
| 8 | रेखो जैन | उपकेन्द्र.स्वा. फारसेगाड जिला बीजापुर | उप स्वा.केन्द्र ईरागाँव जिला कोण्डागाँव | स्वयं के व्यय पर |
| 9 | श्रीमति शशिकला अंगमपटली | लिंगागिरी, उसूर, जिला बीजापुर | सामु.स्वा.केन्द्र किलेपाल, जिला बस्तर | स्वयं के व्यय पर |
| 10 | श्रीमती अहिल्या भोई | उपस्वा.के. बांजीबहाल जिला महासमुंद | उप स्वा. केन्द्र मेंदनीपुर जिला महासमुंद | स्वयं के व्यय पर |

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

U. Jaiswal

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वेच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

W. Jaisla
(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-64/2017/सत्रह/एक (1)

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर । कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।
12. संबंधित

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टॉक फाईल।

W. Jaisla
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग